मा0 उच्च न्यायालय के आदेश/अति महत्वपूर्ण
संख्या- 1504/30-4-2006-25 पी/77

प्रेषक,

श्री नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2006

विषय- जनहित याचिका सं0-3648(एम.बी.)/2006, सुदर्शा अवस्थी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10-8-2006 के अनुपालन में वाहनों पर लाल/नीली बत्ती, हूटर/सायरन/अवैध फिल्म आदि के अनधिकृत प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1218/30-4-2006-25 पी/77, दिनांक 11 जुलाई, 2006 एवं पत्र संख्या-1453/30-4-2006-25 पी/77, दिनांक 25 अगस्त, 2006 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि शासकीय वाहनों पर नियमानुसार ही लाल/नीली बत्ती एवं हूटर आदि का प्रयोग किया जाय तथा शासकीय वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 तथा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य न किया जाय। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में तीन माह में कृत कार्यवाही की आख्या व इस आशय का शपथ पत्र दाखिल किया जाना है कि प्रदेश के अन्तर्गत सभी

.....2/-

वाहन जिसमें शासकीय वाहन भी सम्मिलित हैं, मोटरयान अधिनियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं।

2- प्रत्येक विभाग में उपर्युक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्षों का होगा। अतः कृपया इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करें और यह सुनिश्चित कर लें कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मोटरयान अधिनियम के सन्दर्भित नियमों/निर्देशें का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। यदि किसी विभागीय वाहन पर अनधिकृत लाल/नीली बत्ती, शीशों पर काली फिल्म, पदनाम पट्टिका, सर्च लाइट, अनधिकृत हूटर, अधिक तीव्रता वाले हार्न आदि पाये जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

3- उपरोक्त आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाये।

भवदीय,

30/8/06

(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव।